ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2014 से 03/2017

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावनाः–

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-126 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री महन्त राम	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती मीना गुलेरियरा	23.1.2016 से 31.3.2017

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री जोगिन्द्रपाल	1.4.2014 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत चलाह के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों मे अन्तर पाया जाना	5	4.61
2	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	7	2.04
3	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9	0.15
4	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10	20.51
5	निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना व्यय करना	11	4.79
6	माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	12	0.38

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2017 से 26.04.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	10/2014	10/2014
2015–16	02/2016	08/2015
2016–17	02/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 071/2017 दिनांक 26.4.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत चलाह से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत चलाह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

1 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	आय स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	व्यय स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग	अन्तशेष
2014–15	954346.35	93873	585525	1633744.35	25668	487377	513045	1120699.35 (1120699.35)
2015–16	1120699.35	111104	1419463	2651266.35	51088	491859	542947	2108319.35
2016–17	2108319.35	119096	1941580.37	4168995.72	58694	1513147	1571841	2597154.72
	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष रोकड़ बही					2597154.72		
	पास बुक					3057782.72		

2 मनरेगाः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष	प्राप्तियाँ/आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	5240.85	560510.00	565750.85	565750.85	0.00
2015–16	0.00	814812.00	814812.00	814812.00	0.00
2016–17	0.00	1125860.01	1125860.01	1125860.01	0.00
	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष रोकड़ बही				0.00
	पास बुक				0.00

नोटः– वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1 व 2"** में दिया गया है।

5 ग्राम पंचायत की रोकड़ बही एवं बैंक खातों में ₹4.61 लाख का अन्तर पाया जानाः–

ग्राम पंचायत चलाह की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही एवं उससे सम्बन्धित बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज, (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। ग्राम पंचायत की रोकड़ बही एवं बैंक खातों में दिनांक 31.03.2017 को ₹460628 का अन्तर पाया गया है, जिसका विवरण पंचायत की वित्तीय स्थिति **(परिशिष्ट–1)** में दर्शाया गया है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है, जिस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्वान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 ₹2.04 लाख की अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह की स्व स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही एवं सम्बन्धित बैंक खातों की पास बुकों के अवलोकन/जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार 01.04.14 से 31.3.2017 तक ₹203795 की अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।

क्र0सं0	खाता संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	31910107057	8.12.15	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, नेरचौंक	44600
2	31910107057	15.7.16	–यथोपरि–	38890
3	1986808350	28.7.15	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया	20000
4	1986808350	10.8.15	–यथोपरि–	305
5	1986807287	18.8.15	–यथोपरि–	100000
				203795

पंचायत द्वारा अनुदान राशियों को रोकड़बही में दर्ज न करने के कारण पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है एवं न ही इन अनुदान राशियों को पंचायत के विकासात्मक कार्यों पर व्यय किया गया है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन राशियों को यथाशीघ्र पंचायत की रोकड़ बही में दर्ज करने उपरान्त इनका प्राप्त उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.15 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वःस्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹0.15 लाख की वसूली शेष थीः–

1 गृहकरः–

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014–15	860	13700	14560	100	14460
2015–16	14460	14980	29440	29440	0
2016–17	0	15040	15040	40	15000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹20.51 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹2051412.77 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजना से ग्रामीणों में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना ही ₹4.79 लाख का अनियमित व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–4"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹478892 का व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना ही किया गया जोकि

नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किये गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

12 ₹0.38 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत चलाह द्वारा मनरेगा रोकड़ बही से वर्ष 2014–15 में ₹37631 का भुगतान मनरेगा मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया हैः–

क्र0सं0	वा0सं0	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल सं0	अवधि	राशि (₹)
1	55	28.10.14	निर्माण सड़क एन एच 21 चक्कर से सरड़ा	2554	1.10.14 से 14.10.14	19305
2	56	28.10.14	निर्माण सड़क रा0व0मा0पा0 बगला से एन0एच00 21 नागचला	2553	1.10.14 से 14.10.14	18326
					योग	**37631**

पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा मनरेगा मजदूरों को किये गये उक्त भुगतान से सम्बन्धित कार्य प्रगति हेतु माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में इस बात की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि मजदूरों को किये गये भुगतान की कार्य प्रगति वास्तव में इतनी थी अथवा नहीं एवं उन्हें उतनी मजदूरी देय थी कि नही? अतः मजदूरों को किये गये उक्त भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाए ताकि उनकी तदानुसार जाँच की जा सके।

13 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त रोकड़ बही क`लेखन व उसके रख रखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 21/2017–खण्ड–1–5514–5517,दिनाँकः06–09–17
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत चलाह, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620046